

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं० ११/११-१२
ओ०पी०इन्फास्टेट प्रा०लि० कम्पनी

द्वारा डाय० अजय अग्रवाल

बनाम

उ०प्र० सरकार

अ०धारा-१४३ उ०प्र० ज० वि० एवं भू० व्य० अधि०

मौजा- सिकन्दरा वहिस्ताबाद

तह० व जिला- आगरा

हस्ताक्षरित आदेश दि० ०८/११/१२

आवेदक ओ०पी०इन्फास्टेट प्रा०लि० कम्पनी द्वारा डाय० अजय अग्रवाल पुत्र सुरेश अग्रवाल कार्यालय २२ द्वारिकापुरम वाईपास रोड कमलानगर आगरा द्वारा मौजा सिकन्दरा वहिस्ताबाद जिला आगरा की स्थित खाता सं० ३२९ गाटा सं० ८२५ रकबा ०.३६९० हे० भूमि की आकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल, ना० तहसीलदार से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर आख्या दि० १०.०४.२०१२ अपनी संस्तुति आख्या दि० १०.०४.२०१२ प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि आवेदक प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भूमि के सं० भू० है तथा उसका भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी सहखातेदार नहीं है। भूमि के आसहपास की भूमि में आबादी विकसित हो रही है। प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य, पशु पालन, उधानीकरण, मत्स्यपालन, एवं बागवानी आदि का कार्य नहीं हो रहा है। आबादी घोषित की जाने वाली भूमि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के पट्टे की भूमि नहीं है। प्रश्नगत भूमि का किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। प्रश्नगत भूमि में राजकीय अस्थान, नगर निगम, ग्राम सभा की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना अथवा अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि के आसपास चारों तरफ आबादी विकसित हो रही है तथा प्रश्नगत भूमि की वाउन्डी भी हो चुकी है। अतः प्रा० पत्र में उल्लिखित भूमि मौजा सिकन्दरा वहिस्ताबाद के गाटा सं० ८२५ रकबा ०.३६९० हे० को उ० प्र० ज० वि० एवं भू० व्य० अधि० की धारा १४३ के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध नियम १३५(१) की शर्तों के क्षेत्रीय लेखपाल, ना० तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर आगरा द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा पीली रोशनाई स्याही से प्रदर्शित किया गया है जो क्षेत्रीय लेखपाल, ना० तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। नक्शा खतौनी सन् १४१४ फ०-१४१९ फ० में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। नक्शा खसरा सन् १४१७ फ०, १४१८ फ०, १४१९ फ० तथा प्रार्थी का शपथ पत्र व फोटो संलग्न कर भेजा है। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान में कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन एवं बागवानी का कार्य नहीं किया जा रहा है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथपत्र, नक्शा व फोटोग्राफ से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं० ३२९ गाटा सं० ८२५ रकबा ०.३६९० हे० को गा० ग० १५ पैसे धारा १४३ उ० प्र० ज० वि० एवं भू० व्य० अधि० के सपठित नियम १३५(३) के अन्तर्गत आकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग प्रमाण तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली वाद आ० कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

अजय अग्रवाल

१२००००

अजय अग्रवाल

३०० रुपाई

०८/११/१२

TRUE COPY

(अनिल कुमार)

उप जिलाधिकारी (सदर)

आगरा।

०८/११/१२



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
परमिट फार्म (भाग-2)

परमिट संख्या:- 1942/बी.एफ.एल/03/12-13
सेवा में,

मै०, ओ.पी. इन्फ्रा प्रा० लि०

निवासी-20, कावेरी कुँज, कमला नगर, आगरा।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

दिनांक: 15-3-14

- (क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल थिंलिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
- (ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की आपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (1) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जाए। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- (2) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईट कोस सैंड एवं गार्टर तथा कान्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विषय स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- (3) निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। केला/आवांटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विषय की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल प्रचलितता की परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।
- (1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - (2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
 - (3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - (4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त बर्किंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
 - (5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी० एण्ड पी० का विवरण।
 - (6) साइट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
 - (7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।
- (ङ) मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा पी०डब्ल्यू०डी०, नगर निगम, नजूल एवं अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र

संख्या.....तददिनांक

भवदीय
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
17/3/2014

प्रतिलिपि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनाार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनाार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०..... दिनांक..... के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित कराये।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा